जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांकःजीवि/परीक्षा-2/गोपनीय/2025/2537

दिनांक : 10/03/2025

// स्मरण पत्र //

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय एवं संस्थान
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विषयः- शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क में वृद्वि के सम्बंध में।

संदर्भः- (1) म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 503/175/रासेयो/2024/38 भोपाल दिनांक 21.05.2024
(2)शारीरिक शिक्षा विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर का पत्र क्रमांक/शा.शि./जी.वि.ग्वा./2024/4921 ग्वालियर दिनांक 04.09.2024

महोदय,

म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क 25/- रू0 प्रति माह की दर से दस माह के लिये रू0 250/- लिये जायेंगे। इस राशि में से 150/- रू0 महाविद्यालय के पास रहेंगे एवं 100/- रू0 विश्वविद्यालय को भेजे जायेंगे। इस सम्बंध में जीवाजी विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा आपको पूर्व में सूचित किया जा चुका है।

वर्ष 2024-25 के सेमेस्टर परीक्षाओं एवं वार्षिक परीक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय के द्वारा 72/- रू0 प्रति छात्र जमा कराये गये हैं। शेष 28/- रू0 प्रति छात्र महाविद्यालय के द्वारा जमा कराया जाना शेष है। आपको इस कार्यालय के पत्र क्रमांकःजीवि/परीक्षा-2/गोपनीय/2025/2506-बी दिनांक 28.02.2025 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप प्रति छात्र 28/- रू0 विश्वविद्यालय के खाता क्रमांक 1813358364, आईएफएससी :CBIN 0283189 सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर ग्वालियर में महाविद्यालय के प्राचार्य के खाते से आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। किन्तु कुछ महाविद्यालयों द्वारा अभी तक नो ड्यूज (अदेय प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क की शेष राशि जमा कराये जाने के पश्चात लेखा विभाग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग से नो ड्यूज (अदेय प्रमाण पत्र) दिनांक 18.03.2025 तक प्राप्त करें। नो ड्यूज प्राप्त करते समय बैंक खाते का स्टेटमेंट, प्राचार्य का पत्र छात्र संख्या सहित तथा आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित राशि की रसीद प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि तक अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने पर सम्बंधित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये महाविद्यालय स्वंय उत्तरदायी होंगे।

संलग्न : उपरोक्त संदर्भित पत्र

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
2. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
3. माननीय कुलगुरू के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर।

10/3/25

परीक्षा नियंत्रक

मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल-462004

क्रमांक 503 /175 /रासेयो /2024/38, भोपाल, दिनांक 21 /05/2024

प्रति,

1. अतिरिक्त संचालक,

   उच्च शिक्षा,समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र.।

2. कुल सचिव,

   समस्त विश्वविद्यालय,म.प्र.

विषय:- शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ:- प्रमुखसचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 248/ सी.सी. /67 / 22/38,दिनांक 08.04.2024.

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 101 वीं बैठक दिनांक 31.01.2024 में लिए गए निर्णय अनुसार सत्र 2024-25 से विद्यार्थियों से शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क रू. 25/- प्रति विद्यार्थी की दर से 10 माह के लिए रू. 250/- लिए जाए। इस राशि में से रू. 150/- महाविद्यालय के पास रहेगें तथा रू. 100 /- संबंधित विश्वविद्यालय को पास भेजे जाएगें।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो। 21-5-24

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षाविभाग

पृ क्र- 504 / 175 /रासेयो/2024/38 भोपाल, दिनांक 21 /05/2024

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव,म.प्र. राजभवन भोपाल।
2. विशेष सहायक,माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा,म.प्र.।
3. निज सहायक,अपर मुख्य सचिव,म.प्र. शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल।
4. निज सहायक,आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन,भोपाल।
5. निज सहायक,कुलपति,समस्त विश्वविद्यालय,म.प्र.।
6. संचालक, शारीरिक शिक्षा समस्त विश्वविद्यालय,म.प्र.।
7. प्राचार्य,समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,म.प्र.
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(आर) सी.सी.सेल,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
9. आई.टी.सेल,उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन,भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

21-5-24

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION
JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR

Director

Ph. Office: - 0751-2442818

Sports-484(न)
05/9/24

क्रमांक / शा.शि. / जी.वि.ग्वा. / 2024–25 / 1521 दिनांकः 05/9/24

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अर्धशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय एंव संस्थान,
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय : समन्वय समिति की 101वीं बैठक दिनांक 31.01.2024 में शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ : समन्वय समिति की 101वीं बैठक के निर्णय के विषय क्रमांक 17।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि समन्वय समिति की 101वीं बैठक दिनांक 31.01.2024 के विषय क्रमांक 17 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क में वृद्धि की गई है जिसमें पूर्व प्रावधान रूपये 180/– (रूपये 18/– प्रति छात्र 10 माह की दर से 180/–) के लिये था जो कि सत्र 2024–25 में रूपये 180/– के स्थान पर रूपये 250/– (रूपये 25/– प्रति छात्र 10 माह की दर से 250/–) किया गया है इस राशि में से रूपये 150/– महाविद्यालय के पास तथा रूपये 100/-- विश्वविद्यालय का अंश होगा।

अतः आपसे निवेदन है कि आपके महाविद्यालय में उपरोक्त शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क सत्र 2024–25 से लागू करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

भवदीय

निदेशक,
शारीरिक शिक्षा विभाग
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रतिलिपिः–

01. कुलपति एवं अध्यक्ष, क्रीड़ा समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
02. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
03. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग, मोतीमहल, ग्वालियर।
04. इंचार्ज आई.टी. सैल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
05. पत्रावली।

निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग